आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 509/ इंदौर /2018
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्री बंकट न्याति, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी वार्ड धार, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएपीपीएन 8293 एच		

अपीलार्थी की ओर से	श्री मनीष वैद्य तथा सुश्री प्रीति पटवा, सीए
राजस्व की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	09.07.2021
उद्घोषणा तिथि	02.08.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, इंदौर के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. निर्धारिती द्वारा लिया गया अपील का पहला आधार अधिनियम की धारा 143(2) के अधीन नोटिस जारी करने के संबंध में है जिस पर निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दबाव नहीं डाला गया । अतः इसे दबाव नहीं डाले जाने के कारण खारिज किया जाता है ।

3. निर्धारिती द्वारा लिया गया अपील का दूसरा आधार निम्न रूप से है -

> " 2. विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा विधि के अनुसार संपत्ति के उचित किराया मूल्य लेखे रु. 3,00,000/- के परिवर्धन को कायम रखकर भूल की है क्योंकि निर्धारिती के पास धामनोद में उसके स्वामित्व की कोई संपत्ति नहीं है और उसके पास केवल सूरत में एक मकान है जिसका उपयोग उसके द्वारा अनन्यतः उसके तथा उसके परिवार के निवास हेतु किया जाता है । यह परिवर्धन अधिनियम की धारा 22 के प्रतिकूल है।"

3.1 इस आधार से संबंधित प्रकरण के तथ्य ये हैं कि निर्धारण अधिकारी के अनुसार निर्धारिती के स्वामित्व में दो मकान थे जिसमें से एक सूरत में तथा दूसरा धामनोद में था । ऐसे में निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती को दोनो मकानों का उचित किराया मूल्य प्रस्तुत करने तथा यह कारण स्पष्ट करने हेतु कहा गया कि एक मकान का उचित किराया मूल्य निर्धारिती की आय में क्यों नहीं जोड़ा जाए । इसके उत्तर में निर्धारिती द्वारा कथन किया गया कि सूरत स्थित मकान का उपयोग उसके तथा उसके परिवार के निवास हेतु किया जाता है तथा धामनोद का पता उसकी पैतृक संपत्ति का है जहाँ उसके माता-पिता रहते थे और यह उसका स्थायी पता है तथा उसके पास उसके स्वामित्व की कोई अन्य मकान संपत्ति नहीं है । इस प्रकार, संदर्भाधीन संपत्ति(धामनोद स्थित संपत्ति) निर्धारिती के स्वामित्व की नहीं है अतः

संपत्ति के उचित किराया के लिए किसी परिवर्धन की आवश्यकता नहीं है । यद्यपि, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के इस स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हुआ और निर्धारिती की आय में धामनोद स्थित संपत्ति के उचित किराया मूल्य लेखे रु. 3,00,000/- का परिवर्धन किया । इससे असंतुष्ट होकर निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की जिन्होंने भी निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई की पुष्टि की ।

3.2 अब निर्धारिती इस अधिकरण के समक्ष अपील में है । हमारे समक्ष निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती उसके स्वामित्व वाले सूरत स्थित मकान में उसके परिवार के साथ रहकर व्यवसाय कर रहा था जबकि धामनोद स्थित मकान निर्धारिती के स्वामित्व का नहीं था तथा उसमें उसके माता-पिता रहते थे। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया रु. 3,00,000/- का परिवर्धन अन्यायसंगत है । दूसरी ओर विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी ।

3.3 हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अध्ययन किया है । हमने पाया कि निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष शपथपत्र दाखिल किया था कि आक्षेपित संपत्ति निर्धारिती के स्वामित्व की नहीं है । इसे विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा गलत नहीं ठहराया गया था तथा इसके अतिरिक्त, हमारे समक्ष उक्त संपत्ति के रजिस्ट्री दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है जिससे प्रकट है कि आक्षेपित संपत्ति निर्धारिती के पिता श्री सत्यनारायण न्याति के स्वामित्व की है । अतः हमारे विचारपूर्ण अभिमत में, चूंकि उक्त संपत्ति निर्धारिती के स्वामित्व की नहीं

है अतः निर्धारिती के हस्ते उक्त संपत्ति के उचित किराया मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । तद्नुसार हम रु. 3,00,000/- का परिवर्धन हटाते है ।

4. निर्धारिती की अपील का तीसरा आधार निम्न रूप से है :

> "3. विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा विधि के अनुसार दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति लेखे रु. 35,84,822/- के परिवर्धन को कायम रखकर भूल की है क्योंकि यह तथ्यों का संप्रेक्षण किए बिना तथा विधि एवं विभिन्न माननीय न्यायालयों तथा अधिकरणों के आदेशों पर विचार किए बिना किया गया था । "

4.1 इस आधार के संबंध में सुनवाई के आरंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त मुद्दा इंदौर न्यायपीठ द्वारा समान तथ्यों पर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कु. आयुषी न्याति तथा अन्य के प्रकरण में आ.अ.सं. 203/इंदौर/2019 तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.05.2021 के द्वारा निर्धारिती के पक्ष आवृत्त है । अतः उक्त परिवर्धन हटाये जाने योग्य है । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु वह अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के दावे का खंडन नही कर पाये ।

4.2 हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अध्ययन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील के इस आधार में अंतर्ग्रस्त मुद्दा सनराईज एशियन लि. के 7500 के शेयरों के विक्रय के संबंध में है । मे. सनराईज एशियन लि. के शेयरों के मुद्दे

पर इस न्यायपीठ द्वारा निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कु. आयुषी न्याति तथा अन्य के प्रकरण में आ.अ.सं. 203/इंदौर/2019 तथा अन्य में पारित सविस्तृत आदेश दिनांक 25.05.2021 के द्वारा यह अभिधारित किया गया था कि मे. सनराईज एशियन लि. न तो पैनी स्टॉक न ही कागजी कंपनी है तथा उक्त कंपनी के शेयरों लेखे किए गए परिवर्धन को हटाया गया था । चूंकि वर्तमान निर्धारिती की अपील में भी समान मुद्दा अंतर्ग्रस्त है, अतः हमारे विचारपूर्ण अभिमत में विवादाधीन मुद्दा हमारे उपरोक्त आदेश दिनांक 25.05.2021 द्वारा पूर्णतः आवृत्त है । तद्नुसार निर्धारण अधिकारी को दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति लेखे रु. 35,84,822/- के परिवर्धन हटाने का निदेश देते है तथा अपील के इस आधार को स्वीकृत करते है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 02.08.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(राजपाल यादव)	(मनीष बोरड)
उपाध्यक्ष	लेखा सदस्य

दिनांक : 02.08.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल